Atrocities on Political Workers in Bolangir and Kalahandi in Orissa

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर भारत सरकार के गृह मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

उड़ीसा के बालनगीर और कालाहांडी जिलों में राजनीतिक अत्याचार का एक अद्भुत और लज्जास्पद उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सुयश बढ़ रहा है और पिछले लोक सभा के चुनाव में बालनगीर के विशेषकर पटना गढ़ के क्षेत्र में वहां के जो जनता दल के उम्मीदवार थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां ज्यादा वोट मिला था । अतः इससे क्षुब्ध हो कर पटनागढ़ और बालनगीर के अभी जो वर्तमान विधायक हैं और जो वर्तमान विधि मंत्री हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस पंचायत के चुनावों में बहुत ही अत्याचार किया और हमारे एक सरपंच के उम्मीदवार डोलामणि साहू को अपहृत कर लिया । उन को खोजने के लिए जब हमारे कार्यकर्ता गए तो 28-5-92 की रात को हमारे प्रमुख कार्यकर्ता प्रदीप सिंह की हत्या कर दी । उस हत्या के प्रतिवाद में जब वहां हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की गई, वहां पर एफ.आइ.आर. दर्ज किया गया तो जो जो उस हत्याकांड के जो प्रमुख अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । उन्होंने ऐंटीसिपेटरी बेल ले ली । उस ऐंटीसिपेटरी बेल को जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तब भी उनको गिरफ्तार नहीं नहीं किया गया । उन के स्थान पर के०वी० सिंहदेव जो हमारे वहां के मेम्बर हैं, जो कि उड़ीसा के जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे आर.ए. सिंहदेव उनके पौत्र हैं, उनको एक मिथ्या आरोप में गिरफ्तार करके 13 दिन तक हवालात में रखा गया । जिस समय वह कथित अपराध हुआ था उस समय वह दिल्ली में थे । हमारे दूसरे अधिकारी श्री घनश्याम अग्रवाल को जो कि धरमगढ़ के सरपंच थे उनको मंगा करके वहां घुमाया गया । सब अखबारों में वह है । हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया । तो यह बार बार आश्वासन दिया गया कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन जो मुख्य अपराधी हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए । इस पर हमारे तीन सांसदों का दल जांच करने के लिए गया जिसमें मैं था, दिलीप सिंह जू देव थे और करिया मुंडा थे । मुझे इस बात को बताते हुए बहुत कष्ट होता है कि पूर्व सूचना के बावजूद बालनगीर के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने हम लोगों से मिलने से इंकार कर दिया । यह इस बात का निश्चित प्रमाण है कि वहां की पुलिस ऊपर के दबाव के कारण हमारे राजनैतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यह राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है । राजनीति के अपराधीकरण के द्वारा लोकतंत्र की जड़ें खुद जाएंगी । मैं यह जानता हूं कि वहां जो अभी सरकार है उसको शायद इससे कुछ लाभ पहुंचा सकता है और शायद वह अपने अधिकार मद में कह सकते हैं कि "हर चीज माफ है । अपने हैं आप तो सौ खून माफ हैं" । लेकिन यह सौ खून माफ करके उड़ीसा की वर्तमान सरकार लोकतंत्र के प्रति, राजनीतिक विधान के प्रति जो गंभीर अन्याय कर रही है मैं उसका प्रतिवाद करता हूं ।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसकी जांच कराएं और जिन एस.पी. महोदय ने माननीय सांसदों से मिलना इंकार कर दिया उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए और हाई कोर्ट द्वारा ऐंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देने के बाद जो इस केस में प्रमुख अपराधी के रूप में संदिग्ध हैं उन को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया इसकी जांच की जाए ।

मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी ।